A P P
Cell

-2000-10 लाख फा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बांदीकुई

कलेक्टर मुकाम

ग्यारसीलाल बनाम विष्णु वगैरह सन 2024

मा प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नं० 134/2024

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मूलवाद दावा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। जिसमे वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का तकासमा चाहा है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा० 11 ने भी जवाब प्रार्थना पत्र में तकासमा हेतु कोई एतराज नही किया है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। सहखातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने से वादग्रस्त भूमि में उनके हक अधिकार प्रभावित होंगे। अतः अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा०पत्र व पत्रावली के अवलोकन के आधारपर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर	

[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 14/2/25 उप खण्ड अधिकारी बाँदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner